न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी
अति0 कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (चतुर्थ) जयपुर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. अशोक कुमार RAS

एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 16/2018

भानू प्रताप सिंह गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त, (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. दिनेश कुमार दुसाद पुत्र श्री सीताराम जी, खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स अभय सेल्स ऐजेन्सीज, मोरीज रोड, रॉयल होटल के सामने, चौमू, जिला—जयपुर। निवासी—वार्ड नं0 26, खूटेंटों का मौहल्ला, चौमू, जिला—जयपुर।
2. विजय शंकर अग्रवाल पुत्र श्री प्रभूनारायण, प्रोपराईटर, मैसर्स श्री श्याम वेजीटेबल, 113—ए, गोविन्द नगर पूर्व, आमेर रोड, जयपुर। निवासी—बी—4, शिवनगर, बैनाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।

अभियुक्तगण,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(1)(zf)(C)(i) धारा 26(2)(ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011)

उपस्थितिः—
1. पेरोकार सरकार उपस्थित।
2. अभियुक्त सं0 1 बावूजद सूचना अनुपस्थित।
3. श्री रविराज केदावत, अभिभाषक, अभियुक्त सं0 2 की ओर से।

निर्णय दिनांक : 29.10.2021

यह परिवाद भानू प्रताप सिंह गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त, (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 18.10.2016 को मैसर्स अभय सेल्स ऐजेन्सीज, मोरीज रोड, रॉयल होटल के सामने, चौमू, जिला—जयपुर के खाद्य कारोबारकर्ता/मालिक अभियुक्त विजय शंकर अग्रवाल की उपस्थिति में संस्थान में निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु Blended Edible Vegetable Oil (CHANDAN) के 1 लीटर के 18 गत्ता पैक कार्टून (प्रत्येक में 01 लीटर के 18 पीस) तथा 500 मि.ली. के 7 गत्ता पैक कार्टून (प्रत्येक में 500 मि.ली. के 36 पीस) Blended Edible Vegetable Oil (CHANDAN) रखी थी। इनमें अमानक एवं मिथ्या छाप का शक होने पर इसमें से 1 लीटर के 4 गत्ता पैक Blended Edible Vegetable Oil (CHANDAN) वास्ते नमूना जांच संख्या अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर जोन, जयपुर के कोड एवं क्रमांक ईई—991 के लिये क्रय किया गया। क्रय किये गये 1 लीटर के 4 गत्ता पैक Blended Edible Vegetable Oil (CHANDAN) की कीमत रूपयें 452/— की रसीद प्राप्त की। मौके पर उपस्थित खाद्य कारोबारकर्ता, एफ.बी.ओ./ओनर अभियुक्त विजय शंकर अग्रवाल से केश मीमो/रसीद प्राप्त की जिस पर बतौर सबूत विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। जांच हेतु क्रय किये गये 1 लीटर की 4 गत्ता पैक Blended Edible Vegetable Oil (CHANDAN) की खाद्य विश्लेषक से जांच कराये जाने पर मिथ्याछाप होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा मिथ्याछाप वाली Blended Edible Vegetable Oil (CHANDAN)

का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लघंन किया गया है। अतः धारा 52, 53 में निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जाकर अभियुक्तगण को नोटिस दिया जाकर साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अभियुक्त सं0 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित। जिसके कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अभियुक्त सं0 2 की ओर से दिनांक 01.02.2018 को जवाब पेश किया गया तथा अभियुक्त के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अभियुक्त को खाद्य विशलेषक की जांच रिपोर्ट की प्रति धारा 46 (4) एफएसएस एक्ट के नोटिस के साथ नही दी गई। प्रार्थी को जो नोटिस जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है वह न्यायौचित नही है, गलत व मिथ्या होने के कारण अभियुक्त पर बाध्य नही है, क्योंकि खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के आधार पर एफएसएस पैंकजिग एण्ड लेबलिंग रेगूलेशन, 2011 के किसी भी प्रावधान का उल्लघंन नही होता है।

''Regulation 2.2.2 (9) FSS (Packaging & Labelling) Regulations, 2011'' के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि किसी खाद्य वस्तु पैकज की Best Before अवधि 03 माह से अधिक होती है तो उस नमूनें पैकज पर निर्माण का महिना एवं वर्ष देने की ही आवश्यकता होती है और निर्माता द्वारा विक्रय हेतु रखे गये तेल के पैक पर निर्माण का महिना एवं वर्ष अक्टूबर, 2019 नियमानुसार अंकित किया हुआ था, जिसकी Best Before अवधि 09 माह की थी। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट दिनांक 04.11.2016 अनुसार लिया गया नमूना किस प्रकार मिसब्राण्ड है उसका कोई आधार नही बताया गया है। केवल मात्र नमूना गत्ता पैक पर ''Best Before 9 monthes from date of Packaging'' लिखा होने मात्र से नमूना मिसब्राण्ड की तारीख में नही आता है। ''Best Before 9 monthes from date of Packaging'' लिखने मात्र से विक्रेता द्वारा दी गई जानकारी का अभिप्राय नही बदलता है और नमूना गत्ता पैक पर लिखी इबारत से कोई भ्रम या False representation भी क्रेता को नही होता है। इस कारण से नमूनें को मिसब्राण्ड नही माना जा सकता है।

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2017 (1) FAC Page 255 Omprakash Natani V/s State Of rajasthan & others में निर्णित किया है कि ''Best Before के साथ the date of लिखने मात्र से Best Before की इबारत से अभिप्राय नही बदलता है तो नमूनें में मिसब्राण्ड का कोई मामला विपक्षीगण पर नही बनता है। ऐसे ही मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2012 एफएजे पेज 526 अशोक बत्रा एवं अन्य बनाम सरकार जरिये खाद्य निरीक्षक, एनसीटी, दिल्ली एवं माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने 2016 (2) FAC page 265 सी. सुधाकरन बनाम दी फूड इन्सपैक्टर में निर्णय किया है।

खाद्य विश्लेषक द्वारा नियम, 2.4.2 FSS नियमों के तहत Form No. VIIA में जांच रिपोर्ट जारी करनी होती है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में खाद्य विश्लेषक ने फार्म नं0 बी में जांच रिपोर्ट जारी की है, जो फॉर्मेट सही नही है और सही फॉर्मेट में रिपोर्ट जारी नही किये जाने के कारण जांच रिपोर्ट मान्य नही मानी जा सकती। हस्तगत परिवाद स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री, जयपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर दायर किया गया है। यह लेबोरेट्री धारा 3 (P) सपठित धारा 43 एफएसएस एक्ट के तहत NABL द्वारा Accredited (प्रत्यायित) लेबोरेट्री नही है ना ही NABL द्वारा मान्यता प्राप्त लेबोरेट्री है और ना ही फूड आथेरिटी द्वारा नोटिफाईड लेबोरेट्री है, जिस कारण से सम्पूर्ण कार्यवाही अवैधानिक है। खाद्य विश्लेषक, जयपुर एफएसएस एक्ट की धारा 42 सपठित नियम 2.1.4 एसएसएस नियम के तहत नियुक्ति की निर्धारित योग्यता नही रखता था। जिसके कारण भी उसकी जांच रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही नही की जा सकती है। अभियुक्त द्वारा खाद्य Blended Edible Vegetable Oil (CHANDAN) का विक्रय कर किसी भी नियम का उल्लघंन नही किया गया है। अतः परिवाद मिसब्राण्ड नही होने के कारण खारिज किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु रखी गई Blended Edible Vegetable Oil (CHANDAN) में मिसब्राण्ड एवं मिसलीड का शक होने पर चार गत्ता पैक 1 लीटर की नमूना जांच हेतु ली जा कर खाद्य विश्लेषक को जांच हेतु भिजवाई गई। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस/2989/एक्ट/2016/661 दिनांक 04.11.2016 के अनुसार Blended Edible Vegetable Oil (CHANDAN) को मिथ्याछाप होना पाया गया है। अतः खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगणों पर नियमानुसार शास्ति आरोपित की जावें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) धारा 26(2)(ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011 का उल्लंघन पाये जाने पर अभियुक्तगण को शास्ति से दण्डित करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रा0 पत्र के समर्थन में निम्नाकिंत दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैः–

1. प्रार्थी स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, के समर्थन में खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं (जन.स्वा.), राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक II/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 में प्रकाशन हुआ है एवं अधिसूचना सं0 एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/496 दिनांक 11.04.2012 की प्रति।
2. प्रार्थी को खाद्य आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं (जन. स्वा.), राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 10.08.2011 कि अनुसार राजस्थान राज्य आंवटित है, के समर्थन में आदेश क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 की प्रति।
3. नमूना जांच हेतु क्रय किया गया इसकी सूचना विक्रेता को देने की पुष्टि में मौके पर तैयार किये गये प्ररूप 5ए की प्रति जिस पर प्ररूप 5ए की प्रति प्राप्ति हस्ताक्षर एफ.बी.ओ./ओनर अभियुक्त विजय शंकर अग्रवाल के हस्ताक्षर है।
4. खाद्य विश्लेषक को जॉच हेतु नमूना भिजवाने के लिऐ तैयार किया गया प्ररूप 6 की प्रति एवं प्ररूप 6 की प्रतियां प्राप्ति की रसीद की प्रतियां।
5. मौके पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट जिस पर एफ.बी.ओ./ओनर अभियुक्त विजय शंकर अग्रवाल के हस्ताक्षर है।
6. खाद्य विश्लेषक से नमूना जॉच रिपोर्ट दिनांक 04.11.2016 की प्रति जो निर्धारित प्ररूप बी में जारी की गई है और नमूना अमानक होना अंकित है।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त सं0 2 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह प्रकरण खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट दिनांक 04.11.2016 के आधार पर मिसब्राण्ड फूड होने के कारण पेश किया गया है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार Blended Edible Vegetable Oil (CHANDAN) को मानक परिणाम Not More Then 0.2 प्रतिशत के नॉर्म्स के अन्तर्गत ही होना पाया गया है, परन्तु फिर भी अपनी रिपोर्ट में मिसब्राण्ड फूड होना बताया गया है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित नही किया है कि किस मानक का उल्लघंन Blended Edible Vegetable Oil (CHANDAN) में हुआ है। खाद्य विश्लेषक द्वारा Blended Edible Vegetable Oil (CHANDAN) की 1 लीटर गत्ता पैक पर Best Before 9 monthes from date of Packaging लिखने मात्र से उसे किस प्रकार मिसब्राण्ड फूड बताया गया है, यह स्पष्ट नही है। खाद्य संरक्षा एवं मानक (पैकजिंग एवं लेबलिंग) रेगूलेशन सं0 2.2.2(10) में Best before and use by date के अंकन का प्रावधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत खाद्य पदार्थ का उपयोग किया जाना चाहिए। अभियुक्त द्वारा विक्रय किये जा रहे Blended Edible Vegetable Oil (CHANDAN) पर Best Before 9 monthes from date of Packaging अंकित था जो कि माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक दृष्टान्तों में पारित संदर्भित निर्णयों के परिपेक्ष्य में खाद्य संरक्षा एवं

मानक (पैकजिंग एवं लेबलिंग) रेगूलेशन सं0 2.2.2(10) का उल्लघंन नही माना जा सकता है। क्योंकि Blended Edible Vegetable Oil (CHANDAN) की 1 लीटर की गत्ता पैक पर Best Before 9 monthes from date of Packaging अंकित होने से भी न तो उपभोक्ता को कोई मिथ्या जानकारी होती है ना ही गत्ता पैक के अन्दर रखे गये पदार्थ कें अभिप्राय (substance) की Quality पर कोई विपरीत प्रभाव पडता है।

उक्त विवेचनानुसार विक्रेता द्वारा विक्रय हेतु रखे गये Blended Edible Vegetable Oil (CHANDAN) को मिसब्राण्ड फूड नही माना जा सकता है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरण निस्तारित (Drop) किया जाता है। हम अभियुक्त के विरूद्ध कोई कार्यवाही किया जाना उचित नही समझते है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 29.10.2021 को सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतु.) सत्यमेव जयते जिला-जयपुर (राज.)

29-10-21

(डॉ. अशोक कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी,
अति. जिला मजिस्ट्रेट,
(चतुर्थ), जयपुर